an>

Title: Regarding disbursement of conpensation paid to farmers during natural calamities.

**श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):** अध्यक्ष जी, विगत दिनों जो दैवीय आपदा विभिन्न प्रकार से आई, उसके कारण किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। इसके अलावा एक नई परेशानी बरसात से पीड़ित किसानों को झेलनी पड़ रही है। पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता का चैक राजस्व के अभिलेख के अनुसार जिसमें जाति और उपजाति दर्ज नहीं होती है, दिए जाते हैं लेकिन उनके बैंक खाते में नाम, जाति या उपजाति के साथ होता है, जिसके कारण बैंक के अधिकारी और कर्मचारी पीड़ित किसानों को चैक का भुगतान करने में असमर्थता जाहिर करते हैं। इस कारण किसान बहुत परेशान हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि अकारण जो यह समस्या पैदा हो गई है, इसके समाधान हेतु बैंक के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की कृपा करें। यदि खातेदार किसान की पहचान बहुत ही आवश्यक लगे, तो ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए निवास प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें अनुदान देने हेतु कार्रवाई की जाए।

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** अध्यक्ष महोदया, मैं अपने आपको श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विÂ◌ाय के साथ सम्बद्ध करता हूं।